WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

FEBRUARY 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177;   **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com   **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- Union Budget Updates (01-02-2023)
- चैम्बर भवन में केंद्रीय बजट 2023-24 पर परिचर्चा
- विकास और पर्यावरण
- अब बिजली कनेक्शन पर करानी होगी केवाईसी
- व्यापारी ऑनलाइन कर सकेंगे रिफंड में देरी की शिकायत
- पांच करोड़ गैर पंजीकृत माइक्रो यूनिट बैंक से जोड़ने की तैयारी
- निजी एमएसएमई पार्क के लिए महज एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को कैबिनेट ने दी स्वीकृति
- Domestic green hydrogen fuel manufacturers to get export benefits under RoDTEP
- Ministry of shipping launches portal to reduce logistics cost
- DGFT cautions exporters against misuse of Digital Signature Certificates
- UP govt to provide 60% subsidy to SC, ST weavers for setting up modern power looms
- Variable Dearness Allowance w.e.f. 01-02-2023 in Engg. Industries Employing 50 or more workmen

Union Budget Updates (01-02-2023)

• Finance Minister Nirmala Sitharaman, maintains the 7% growth forecast for the current fiscal year.

• Focus on strengthening macroeconomic stability will calm the worries in the bond and forex markets.

• Per capita income has increased to Rs 1.97 lakh.

• India is now the world's largest producer and second largest exporter of millets, continuous focus on domestic production, consumption, and export potential will bring dollars, but will also boost India's soft power.

• Will spend Rs 2 lakh crore on free food grains to all priority households as part of the PMGKY.

• Offered a 33% rise in capital expenditure to Rs 10 lakh crore, which would be 3.3 percent of GDP.

• The 50-year, interest-free loan to states for capital expenditure has been enhanced to Rs 1.3 lakh crore, which is 30% more than the amount allocated for 2022-23.

• Railways capital spending of 2.40 lakh crore is the largest ever; it is 9 times of the size in 2013.

• PMAY budget has been increased by 66% to Rs 79,000 crore.

• The government would aid the help of Rs 5,300 crore to Karnataka's drought-prone central region.

• More than 39,000 compliances have been eliminated, and over 3,400 legislative provisions have been decriminalized, to improve the ease of doing business.

• PMPBTG Development Mission will be initiated to impregnate PBTG habitations with basic facilities in order to better the social-economic status of tribal communities in particular. In the next three years, Rs 15,000 crore will be allotted to implement the scheme.

• The government would fund R&D in the lab-grown diamond industry and consider lowering customs duties on crucial raw materials.

• This budget includes Rs 35,000 crore in capital investment for the energy transformation and net zero goal.

• The revamped credit guarantee scheme for MSMEs will go into action on April 1, 2023, with a capital of Rs 9000 crore. This will allow for an additional collateral-free credit guarantee of Rs 2 lakh crore rupees, lowering the cost of credit by 1%.

• The fiscal deficit target for 2023-24 has been set at 5.9 percent of GDP. This would imply a 50 basis point drop from this year's fiscal deficit projection of 6.4 percent.

• Phase 3 of the eCourt project will be started with a Rs 7,000 crore investment for efficient justice administration.

• Increased the rebate from Rs 5 lakh to Rs 7 lakh. The basic exemption threshold under the new regime has increased from Rs 2.5 lakh to Rs 3 lakh.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

चैम्बर भवन में केंद्रीय बजट 2023-24 पर परिचर्चा

एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा लाभ

वैस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी में उद्यमियों ने बजट को विकासशील एवं संतुलित बताया। उद्यमियों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा आयकर अधिवक्ताओ के साथ बजट पर विमर्श किया। बजट में आयकर व जीएसटी से संबंधित बदलावों के साथ एमएसएमई को मिलने वाली राहत पर चर्चा की। कहा कि बजट से एमएसएमई उद्यमियों को भुगतान के मामले में लाभ मिलेगा। अब खरीदार को भुगतान विलंब पर आयकर में भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है।

संगोष्ठी की अध्यक्षता वैस्टर्न यूपी चैम्बर अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता, संचालन सेक्रेटरी सरिता अग्रवाल ने किया। चेयरमैन सीए पीयूष अग्रवाल ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा आयकर अधिवक्ताओ के बीच विभिन्न बिन्दुओ पर प्रकाश डाला। सीए आकाश जैन जी, अनुज गोयल जी, पवन मित्तल जी के साथ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन पदाधिकारी मौजूद रहे। एमएसएमई को समय से भुगतान न करने पर या भुगतान रोकने पर बजट में बनाए कड़े नियमो को लेकर सीए व आयकर अधिवक्ताओ ने कहा कि नए नियमो में खरीदार को आयकर

में भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है। एमएसएमई सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योकि अभी तक एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या भुगतान न मिलने की थी।

आयकर में छूट और नए नियम पर चर्चा:

उद्यमियों ने आयकर छूट के बढे दायरे, नई और पुरानी कर व्यवस्था पर चर्चा की। कहा कि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय पांच लाख से सात लाख कर दी गई है। टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत दी है। अपील के मामले में जॉइंट कमिश्नर अपील बनाया गया है, जिससे मामलो के लंबित रहने की समस्या का निदान होगा। ऑडिट की सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दी गई है, यदि पांच फीसदी से अधिक नकद में प्राप्ति नहीं है।

संगोष्ठी में इन उद्यमियों ने अपने विचार रखे:

बजट में नए प्रावधान और पुराने नियमो में बदलाव करने के साथ एमएसएमई सेक्टर के साथ उद्यमियों, व्यापारियों के लिए कई कदम उठाए है।

श्री गोपाल अग्रवाल, उद्यमी

एमएसएमई को भुगतान के मामले में विलम्ब होता था। 45 दिनों के बाध्यता का पालन नहीं होता था, अब कड़े नियम बनने से खरीदार को एमएसएमई को भुगतान की तय सीमा में भुगतान करना होगा।

श्री गिरीश कुमार, उद्यमी

आम बजट उद्यमियों, व्यापारियों के हित में है। धीरे-धीरे बजट के विभिन्न पहलू सामने आ रहे है, जो विस्तार से जानकारी के बाद पहली नजर में एमएसएमई के हित में ही दिखाई दे रहे है।

श्री एमएस जैन, उद्यमी

एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या भुगतान न मिलने की थी, इस कारण कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है। एमएसएमई को समय से भुगतान होगा तो उद्यमियों को सुविधा होगी, व्यापार भी बढ़ेगा।

श्री अजय गुप्ता, उद्यमी

विकास और पर्यावरण

दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हवा, मिटटी, पानी को लेकर चिंतित है। सीओपी जैसे अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों से लेकर विभिन्न वैश्विक बैठकों में पर्यावरण विमर्श मुद्दा बन चूका है। इस्जैसका कारण यह है कि देश ऐसा नहीं है, जहां पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़े किसी संकट का सामना न करना पड़ रहा हो। कही पानी का संकट है तो कही प्रदुषण। का कही मिटटी जहरीली हो रही है तो कही वनो के नष्ट होने की चिंता है। इसलिए यह हम सबके लिए जरुरी है कि कैसे उस विकास की और बढ़ा जाए, जिसमे आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों पहलुओं का संतुलन हो।

यह तो स्वीकारना ही होगा कि कई तरह से विकास विनाशकारी भी बन चूका है। इसमें यह बात स्पष्ट दिखती जब से विकास आवश्यकताओं पर सीमित न रहकर विलासिता की ओर झुका, उसने बड़े विनाश को जन्म दिया। अगर हम नहीं सम्भले तो अगली सदी विनाश की होगी। कहीं पानी का संकट होगा, कहीं शहर डूब रहे होंगे। कई वैज्ञानिक विश्लेषण आ चुके है जो कहते है कि मिलकर प्रयास हो, जिससे पृथ्वी पर दवाब, उसकी धारण क्षमता को पार न कर ले। जोशीमठ धारण क्षमता से ज्यादा दवाब का ही उदहारण है। यह पहले कभी गावं था जो धीरे-धीरे क़स्बा, फिर पहाड़ी शहर बन गया। आज वहां हुआ अनियोजित और अनियंत्रित विकास ही विनाश का कारण बन रहा है।

जोशीमठ की परिस्थितिया इस बात की दिशा दिखा सकती है कि हम प्रकृति से जुड़कर कैसे अपने विकास के ढांचे को तैयार कर सकते है। विकास का सबसे बड़ा पहलू ढांचागत संरचनाओं से जुड़ा है। चाहे वह उद्योगों के लिए हो, सड़को के लिए या बड़े बांधो को लेकर हो। इन सब में हम अगर शुरुआत से ही प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बढे तो शायद विनाश की स्थिति न बने। उदाहरण के तौर पर पहाड़ो में सड़क बनाने की गति मैदानी इलाको से कम रखी जाए, जिससे प्रकृति को संतुलन बनाने का मौका मिले। बड़े बांधो के विकल्प के रूप में हम छोटे-छोटे बाँध बना सकते है जिसमे स्थानीय भागीदारी भी रहे। इससे खतरा कम होगा। यह समय पारिस्थितिकी व आर्थिकी में समन्वय बनाकर चलने की है।

पिछले कुछ समय से यह विमर्श का विषय है कि कैसे पर्यावरण और विकास को साथ लेकर बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह बात उठाई है कि हमें पारिस्थितिकी और आर्थिकी को लेकर साथ चलना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम विकास के लक्ष्य के साथ इसकी प्रक्रिया पर भी ध्यान दे। हम इस बात पर ध्यान दे कि विकास की गतिविधियों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की अनदेखी न होने पाए। यह स्थान विशेष की बात नहीं है बल्कि देश के हर कोने में विकास ऐसे मानकों पर होना चाहिए।

उद्योगों का यह दायित्व निर्धारित किया जाए कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी से जितना ले, उस कमी को पूरा करने में भी उतना ही योगदान दे। अगर हमारे उद्योग पारिस्थितिकी को ध्यान में रखेंगे, तो विकास की ऐसी रहा बनेगी, जो प्रकृति के अनुकूल हो। हमें समझना होगा कि पृथ्वी के हर हिस्से की अपनी धारण क्षमता है, फिर चाहे वह पहाड़ हो, मैदान हो या समुद्र तट हो। उन सीमाओं को समझना आज की चुनौती है। इसे समझकर ही संतुलित विकास की राह निकलेगी।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

“MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD”

कुछ ऐसे हो विकास की राह:

- कृषि और पशुधन के साथ-साथ आजीविका संबंधी योजनाओ को वानिकी, कार्बन अवशोषण आदि से भी जोड़ने की आवश्यकता है। उन उद्योगों को आगे आना होगा जिनकी वैल्यू चैन पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित खतरों से ज्यादा जुडी हुई है। उदहारण के तोर पर कृषि कारोबार, खनन एवं कंस्ट्रक्शन संबंधी उद्योग। इसमें स्थानीय समुदायों के लिए आय के साधन भी सृजित करने की आवश्यकता है।
- उपभोक्ता उत्पादों से जुडी कंपनियों को कृषि वानिकी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रक्रियाओं पर निवेश करना होगा। मिटटी की पोषण क्षमता में ह्रास के कारण उत्पादकता कम होना चिंता का कारण है। जो उद्योग कृषि संबंधी उत्पादों पर ज्यादा निर्भर है, उन्हें ऑर्गैनिक कृषि, कृषि वानिकी और अन्य प्रकृति के अनुकूल समाधानों में निवेश से आगे चलकर बढ़ा लाभ होगा।
- नफ़ा-नुक्सान के गणित में केवल वित्तीय नतीजों को शामिल करने के बजाए पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव का भी आकलन करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों में और कंपनियों की कार्यप्रणाली में इसे शामिल करने से जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास की राह पर बढ़ना आसान होगा।

पारिस्थितिकी ही है आर्थिक:

- सामान्यतौर पर यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध होना मजबूत अर्थव्यवस्था व विकास का मानक है। लम्बे समय से विभिन्न अर्थशास्त्री और पर्यावरण के पैरोकार इस अवधारणा को बदलने का प्रयास कर रहे है। उनका कहना है कि पारिस्थितिकी का संतुलन बनाकर चलना ही विकास की सही राह है।
- 300 अरब डॉलर सालाना का अनुमानित नुक्सान हो रहा है। दुनिया को जैव विविधता नष्ट होने और जलवायु परिवर्तन के कारण। 2019 में यूएन-आईपीबीईएस रिपोर्ट में यह आकलन किया गया था।
- 60% से ज्यादा जीडीपी प्रकृति एवं प्राकर्तिक संशाधनो पर निर्भर है भारत में। एक तिहाई जीडीपी सीधे तौर पर प्रकृति पर ही निर्भर है। करीब इतनी ही जीडीपी परोक्ष तौर पर प्रकृति आधारित है।

- 57% ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं उनसे जुडी अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भर है भारत में।

कुछ यूं बनेंगे अवसर:

- 39.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे 2030 तक, यदि नष्ट हो रही जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी के बेहतर प्रयोग की दिशा में निवेश किया जाए।
- 19.1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर बन सकते है, यदि कृषि, मत्स्यपालन, वनीकरण और इनसे जुड़े उद्योगों के पर्यावरण के अनुकूल प्रयोग की दिशा में कदम बढ़ाया जाए।
- 25 गुना तक बढ़ सकती है कुछ दशक में भारत की आय, यदि पेरिस समझौते के तहत तय लक्ष्य पाने की दिशा में निवेश किया जाए। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं पर खर्च कम करना और पर्यावरण पर निर्भर कृषि, वानिकी एवं अन्य संबंधित सेक्टर में इस कारण होने वाले नुक्सान को कम करने जैसे कदम शामिल है।
- 64% तक बढ़ सकती है किसानो की आय विकासशील देशो में यदि विधिवत तरीके से स्थानीय परिस्थितियो एवं आवश्यकताओं के आधार पर कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। इसमें मिटटी की पोषकता बढ़ाना, जलस्तर और जैव विविधता में सुधार के कदम शामिल है।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS

(150m from Kirti Nagar Fire Station)

Noida: A-32, Sector 63

(Off Nh24, Opp. Indirapuram)

MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)

Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

अब बिजली कनेक्शन पर करानी होगी केवाईसी

केवाईसी अभी तक बैंक खातों और रसोई गैस के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब बिजली कनेक्शन के लिए भी केवाईसी अनिवार्य हो गई है। इसके लिए 1 से 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतगर्त मेरठ समेत सभी 14 जिलों में चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा ने यह निर्देश दिए। मेरठ शहरी क्षेत्र में 1.36 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी पहले हो चुकी है। करीब 1.64 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी करेंगे। उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म में भरनी होगी। उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन केवाईसी अपडेट कर सकते है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रबंधक निदेशक पीवीवीएनएल चैत्रा वी. समेत सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे।

नए कनेक्शन कराने का अच्छा मौका:

वैसे तो कनेक्शन हर समय होते है, लेकिन 15 दिवसीय अभियान में नए कनेक्शन करने पर विशेष जोर रहेगा। जो भी उपभोक्ता नया कनेक्शन लेना चाहते है, वह आवेदन कर सकते है।

यह होगा फायदा:

केवाईसी अपडेट होने से उपभोक्ताओं को बिल के मैसेज आने लगेंगे। पंजीकृत नंबर से कस्टम केयर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराने कनेक्शन आईडी नहीं बतानी पड़ेगी। शिकायत निस्तारण की सूचना व्हाट्सएप पर आ जाएगी। इसके साथ ऊर्जा निगम की अन्य हाईटेक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail:anamikaudyog@hotmail.com, Mobile No.: 9837031861, 9927025661

व्यापारी ऑनलाइन कर सकेंगे रिफंड में देरी की शिकायत

एसजीएसटी रिफंड पाने में देरी होने पर व्यापारी अब ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। अधिकारियों को शिकायतों का 10 दिनों में निस्तारण करना होगा। इससे व्यापारियों को रिफंड के लिए विभाग के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही शोषण रुकेगा। इस संबंध में राज्यकर मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है।

नई व्यवस्था में व्यापारी शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन जान सकेंगे। आयुक्त राज्यकर मुख्यालय ने ऑनलाइन रिफंड प्लेटफार्म 'रिफंड ग्रीवांस सिस्टम' लांच किया है। इसे विभागीय वेबसाइट से जोड़ा है।

व्यापारी रिफंड ग्रीवांस सिस्टम पर अपनी शिकायते दर्ज करा सकेंगे। इसमें एसजीएसटी रिफंड से संबंधित अवधि, राशि, रिफंड का कारण और शिकायते लिखनी होंगी। शिकायत दर्ज होने की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। व्यवस्था लागू होने के बाद व्यापारियों को एसजीएसटी मिलने में आसानी होगी और इससे जुडी शिकायते भी कम होंगी।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS

Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

पांच करोड़ गैर पंजीकृत माइक्रो यूनिट बैंक से जोड़ने की तैयारी

एमएसएमई मंत्रालय पांच करोड़ असगंठित माइक्रो यूनिट्स व इंटरप्राइजेज को पंजीयन सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर रहा है। इस काम के लिए उद्यम एसिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) बनाया गया है जिसके माध्यम से अति छोटी यूनिट या कारोबारी को उनके किसी भी बैंक के खाते के आधार पर पंजीयन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

इसका फायदा यह होगा कि ये यूनिट सीधे तौर पर बड़े बैंक से अपने काम के लिए लोन ले सकेंगे और बैंक भी उन्हें प्राथमिकता देगा। अभी ये यूनिट सरकारी स्कीम का लाभ उठाने से भी वंचित रह जाते हैं। अभी देश में 6.4 करोड़ एमएसएमई है।

उद्यम पोर्टल से जुड़ने वाले कारोबारियों की संख्या है 1.33 करोड़:

एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीएसटी नेटवर्क से 1.40 करोड़ कारोबारी जुड़े हुए हैं जबकि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल से जुड़ने वाले कारोबारियों की संख्या 1.33 करोड़ है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो यूनिट विभिन्न प्रकार की कागजी प्रक्रिया की वजह से खुद को पंजीकृत नहीं कराती है और इस वजह से वे एमएसएमई की परिधि के बाहर रहती हैं।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:

Transformer & Servo

Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001

Mob. No.: 7533900800, 9927869400

E-mail: info@saielectricals.com

Website: www.saielectricals.com

उत्तर प्रदेश में 78.7 लाख माइक्रो यूनिट्स पंजीकृत नहीं:

एमएसएमई मंत्रालय यूपी की मदद से इन माइक्रो यूनिट को बिना किसी कागजी प्रक्रिया के मुख्यधारा में लाएगा। इससे उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वित्तीय सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और कारोबार बढ़ने पर नए रोजगार भी निकलेंगे।

एसबीआइ रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों को इसका अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि इन राज्यों में पंजीकृत माइक्रो यूनिट्स और कुल माइक्रो यूनिट्स के बीच का अंतर अधिक है। उत्तर प्रदेश में 78.7 लाख माइक्रो यूनिट्स पंजीकृत नहीं है तो बिहार में इस प्रकार के माइक्रो यूनिट की संख्या 29.2 लाख, पश्चिम बंगाल में 84.3 लाख, तमिलनाडु में 35.7 लाख यूनिट है।

निजी एमएसएमई पार्क के लिए महज एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण

प्रदेश में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार महज एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। हालांकि छूट की अवधि तीन वर्ष की होगी। चौथे वर्ष से ब्याज दर की गणना छह प्रतिशत से की जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृत निजी औद्योगिक पार्को के विकास योजना में यह प्रावधान किए गए है। बीओटी (बिल्ड, ओन, ऑपरेट) आधार पर संचालित इस योजना के तहत औद्योगिक पार्को के भूखंडो के आवंटन, संचालन तथा रख-रखाव का दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।

इस योजना के अंतगर्त 10 से 50 एकड़ भूमि पर एमएसएमई पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो, महज एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। शेष पूंजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तकों को स्वयं या ऋण लेकर करनी होगी। योजना के अंतगर्त 2500 करोड़ रूपये के रिवॉल्विंग फंड का कारपस बनाया जाएगा, जिसके लिए चालू वर्ष 2022-23 में 300 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। कारपस फंड के लिए

पूर्ण धनराशि की व्यवस्था पांच वर्ष में बजट के माध्यम से की जाएगी। सरकार द्वारा प्रवर्तकों को दी जाने वाली धनराशि दो सामान किस्तों में दी जाएगी। पहली क़िस्त के 75 प्रतिशत धन राशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय क़िस्त जारी कर दी जाएगी। प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तकों को दी गई धनराशि पर एक प्रतिशत का साधारण ब्याज लिया जाएगा। चौथे वर्ष से कारपस फंड से दी गई धनराशि छह प्रतिशत की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गई भूमि राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

मॉडल शॉप की लाइसेंसी फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी:

प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बियर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व मॉडल शॉप की लाइसेंसी फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही मॉडल शॉप पर मदिरा पान का शुल्क दो लाख रूपये से बढ़ाकर अब तीन लाख रूपये निर्धारित किया गया है। गोदाम संचालको के लिए लाइसेंस शुल्क व प्रतिभूति में वृद्धि की गई है।

HANS ENGINEERING WORKS

Dealing in:

Farm Machinery

72/A, “Hans Chopla” Suraj Kund Road, Meerut
Mobile: 9557066066, 9045333332
Email: hansenggworks@gmail.com, info@hansenggworks.com
Website: www.hansenggworks.com

हापुड़ में स्टेडियम बनाने को दी 10 हेक्टेयर भूमि:

यूपी कैबिनेट ने हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए पशुधन विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को देने का निर्णय लिया है। हापुड़ में पशुधन विभाग की राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़ की यह जमीन दी जा रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतगर्त चार असेवित जिलों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है, जिसमे हापुड़ भी शामिल है।

तीन निजी विश्वविद्यालय खोलने को हरी झंडी:

प्रदेश में तीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का रास्ता साफ़ हो गया। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग को निजी संस्थाओं को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह निजी विश्वविद्यालय लखनऊ, मथुरा व गौतमबुद्ध नगर में खोले जाएंगे।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को कैबिनेट ने दी स्वीकृति

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश व रोजगार सृजन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को स्वीकृति दी है। खाद्य प्रसंस्करण की नई नीति में उद्यमियों के लिए 35 प्रतिशत तक के पूंजीगत अनुदान का प्राविधान किया गया है। अनुदान की अधिकतम सीमा पांच करोड़ तक होगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है। परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय का प्राविधान किया गया है। अब प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज पर मंडी शुल्क और उपकार से छूट मिलेगी। प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए भी यह छूट मान्य होगी।

इतना ही नहीं प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओ पर सब्सिडी, निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण नीति में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ तक होगी दिया जाएगा।

B.R. Studio

Dealing In:

Destination Photography, Wedding Photography, Maternity Shoots, Cinematic Videography etc.

Sadar Dal Mandi, Meerut

Mob. No.: 9837085461, 9997025461

Email: agarwalkartikey@gmail.com

Domestic green hydrogen fuel manufacturers to get export benefits under RoDTEP

In an effort to become a global supplier of clean fuel, the Indian government is planning to extend exports benefits under Remission of Duties and Taxes on Export Products (RoDTEP) scheme to local green hydrogen fuel manufacturers.

Government officials told that RoDTEP scheme, designed to offer refunds against some local levies to exporters, will be extended to green hydrogen once exports start.

India recently approved a USD 2.11 billion incentive plan to boost local production and encourage use of green hydrogen.

Being one of the world's biggest emitters of greenhouse gases, this move is targeted to help the country achieve net-zero carbon emissions by 2070.

The country aims for annual production of 5 million tonnes of green hydrogen and hopes to provide at least 10 per cent of global demand by 2030.

"If green hydrogen is exported by Indian manufacturers, covering such exports under RoDTEP will not be an issue," the official added.

Ministry of shipping launches portal to reduce logistics cost

The national logistics portal–marine (NLP-M) was launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

The single-window platform aims to minimise regulatory complexities by centralising all necessary documentation, compliance certifications, and formal procedures necessary for the EXIM trade.

It will help bring all the trade stakeholders together and reduce the cost of logistics through real-time mapping and provisioning.

"NLP will be a single window for all trade processes of the logistics sector spread across the country covering all modes of transport in the waterways, roadways, and airways along with an E-marketplace to provide a seamless end-to-end logistic service coverage," the ministry said.

The platform is based on four core tenets — carrier, cargo, banking and finance, and regulatory bodies and Participating Government Agencies (PGAs).

Speaking about the portal, Union minister for ports shipping and waterways Sarbananda Sonowal said that the platform is a step forward towards achieving the goals envisaged in the PM Gati-Shakti National Master Plan, which aims to synergise logistics and eliminate duplication of efforts.

The NPL portal will replace the port community system (PCS) being used by ports for logistics mapping.

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton
Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

DGFT cautions exporters against misuse of Digital Signature Certificates

The Directorate General of Foreign Trade has cautioned exporters following cases of misuse of Digital Signature Certificates (DSC) by unscrupulous firms and agents while availing various services and benefits under Foreign Trade Policy.

"Few firms/individuals, through unauthorized access to DSCs of few exporters, have recorded information on transfer of Chapter 3 scrips on DGFT portal. Trade is cautioned to have their DSCs under safety", cautions DGFT communique.

Exporters and Importers generally handover the DSCs to their Customs House Agents (CHAs) as DSCs are needed for various purposes.

The instances reported relates to Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) and Service Exports from India Scheme (SEIS) under which Duty Credit Scrips are granted as rewards.

The objective of schemes under this chapter is to provide rewards to exporters to offset infrastructural inefficiencies and associated costs involved and to provide exporters a level playing field.

The Duty Credit Scrips are freely transferable. The Scrips can be used for Payment of Customs Duties for import of inputs or goods, payment of GST etc.

DGFT has advised trade to get in touch with their DSC vendor to ensure no unauthorized issuance of DSCs against their Import Export Code (IECs).

UP govt to provide 60% subsidy to SC, ST weavers for setting up modern power looms

The Uttar Pradesh government has decided to provide 60 per cent subsidy to weavers belonging from scheduled caste and scheduled tribe communities for setting up modern power looms, said a state government spokesperson.

In a high-level meeting, chief minister Yogi Adityanath approved the schemes to improve economic and social conditions of weavers belonging from ST/SC communities.

"The weavers will get assistance from the state government to set up modern handlooms so that they can pace with the time and contribute to the development of the state. The Yogi Adityanath administration will also assist the weavers to get loans from banks," he said.

As per reports, The Uttar Pradesh CM in the meeting directed officers to ensure that weavers get the benefit of the subsidy under the Jhalkari Bai Kori Handloom and Power loom Development Scheme.

Under the program, the state government will provide 80 per cent of the cost of the subsidy, with the remaining 60 per cent going toward the installation of modern power looms.

To avail the benefits, the beneficiary must have a scheduled caste certificate from the district magistrate or the tehsildar. The age of the beneficiaries should be 18 years or above. They should be proficient in weaving or should be trained. They should own land for the establishment of modern handloom unit, he added.

The state government has divided the scheme into three parts, including modern power loom technology training programme, establishment of advanced handlooms or power looms and construction of handloom or power loom workshops.

It was decided in the meeting that on the purchase of two new power looms, the state government will give subsidy of 60 per cent percent per new power loom.

Variable Dearness Allowance w.e.f. 01-02-2023 in Engg. Industries Employing 50 or more workmen

The Notification dated 14-09-2016 was issued by the UP State Government under U.P. Industrial Disputes Act fixing minimum rate of wages and VDA in Engineering Industries employing fifty or more workmen. As per the said notification the VDA changes in every February and August of the year on the basis of ALL India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) from july to December of the previous year and January to June of the current year respectively. Thus VDA becomes payable on the Price Index which increase beyond 239 points and has to be neutralised cent parcent. The Government has stopped releasing PI for 2001=100 but now has been releasing PI 2016=100 which if multiplied by 2.88 we get PI 2001-100.

The Price Index for the period July 2022 to December 2022 being 374.11, 374.98, 378.14, 381.60, 381.60 and 381.02, the Average comes to 378.58

Thus there is an increase of Price Index (378.58-239 = 138.58 points)

Therefore, the VDA Amount w.e.f. 01-02-2023 to 31-07-2023 shall be as under:-

For Engg. Industries Employing 50 to 500 Workmen:

CATEGORY	MINIMUM WAGES	TOTAL VDA FROM 01-02-2023	TOTAL WAGES FROM 01-02-2023 TO 31-07-2023	PREVIOUS TOTAL WAGES FROM 01-08-2022 TO 31-01-2023	NETT INCREASE FROM 01-02-2023
UNSKILLED	7440	4345.08	11785.08	11386.00	399.08
SEMI-SKILLED	8170	4771.42	12941.42	12503.18	438.24
SKILLED	9070	5297.03	14367.03	13880.52	486.51

For Engg. Industries Employing 501 and Above Workmen:

CATEGORY	MINIMUM WAGES	TOTAL VDA FROM 01-02-2023	TOTAL WAGES FROM 01-02-2023 TO 31-07-2023	PREVIOUS TOTAL WAGES FROM 01-08-2022 TO 31-01-2023	NETT INCREASE FROM 01-02-2023
UNSKILLED	7800	4555.33	12355.33	11936.94	418.39
SEMI-SKILLED	8580	5010.86	13590.86	13130.63	460.23
SKILLED	9360	5466.40	14826.40	14324.32	502.08

XXXXXXXXXX